न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राज0)

हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
…12/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित हुए। वकील प्रार्थी ने फर्द की सूची के साथ दस्तावेज पेश किये। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 8/1/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
8.1.25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप० हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस में वकील प्रार्थी द्वारा दिये गए तर्कों पर मनन किया। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट दिनांक 6.2.24 का अवलोकन किया। तहसीलदार नैनवां ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि मृतक रुघनाथ पिता भंवरलाल का राजस्व रिकार्ड में रुघनाथ उर्फ कपूरचन्द का कही भी अंकन नही है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदियों में रुघनाथ पि० भंवरलाल का अंकन है, जबकि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पहचान दस्तावेजों में कपूरचन्द का नाम अंकित है। किसी भी दस्तावेज से रुघनाथ एवं कपूरचन्द का नाम लिपिकीय त्रुटि से गलत होने का तथ्य प्रकट नही हो रहा है। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए राजस्व रिकार्ड में रुघनाथ के स्थान पर रुघनाथ उर्फ कपूरचन्द का इन्द्राज किये जाने हेतु निवेदन किया। हमने प्रार्थना पत्र, शपथ-पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज, रिपोर्ट तहसीलदार आदि का अवलोकन किया। प्रकरण में (हस्ताक्षर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बू...

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज
	रूघनाथ और कपूरचन्द नाम किसी प्रकार की लिपिकीय त्रुटि से गलत अंकित होने का तथ्य प्रकट नही होने के कारण प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र धारा 136 LR Act के तहत पोषणीय नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LR Act खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
	(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी नैनवाँ (बून्दी)